



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-679

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 317130 दिनांक 22/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Vinod Kumar Pareek S/o Prhalad Kishor Pareek	श्री कुलदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री औकार स्वरूप शर्मा	29	262.22 SQ. YARD	Cooperative	GOKUL PURI	Sub Division and Reconstitution	सुभाष सिन्धी का ँ की योजना गोकुलपुरी के भूखण्ड संख्या 29 क्षेत्रफल 262.22 वर्गगज की लीजडीड दिनांक 07.07.2009 को श्री कुलदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री औकार स्वरूप शर्मा के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.08.2009 को श्री कुलदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री औकार स्वरूप शर्मा के द्वारा श्री राजा देवानी पुत्र श्री वासूदेव देवानी के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.04.2011 को



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								श्री औंकार स्वरूप शर्मा के द्वारा श्री राजा देवानी पुत्र श्री वासूदेव देवानी के द्वारा श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.06.2013 को श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा के द्वारा श्री राजा देवानी पुत्र श्री वासूदेव देवानी के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.06.2016 को ी राजा देवानी पुत्र श्री वासूदेव देवानी के द्वारा श्री अक्षत भाटी पुत्र श्री चन्द मोहन भाटी के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्रफल में से उत्तरी हिस्सा 131.11 वर्गगज का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.05.2026 को श्री विनोद कुमार पारिक पुत्र स्वं श्री प्रहलाद कुमार पारिक के पक्ष में
--	--	--	--	--	--	--	--	---



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

कर दिया गया।
प्रकरण में
वाद.विवाद/स्थगन,
मौका रिपोर्ट,
भूखण्ड सृजन एवं
रहन की रिपोर्ट
लिया जाना उचित
होगा। आवेदक
द्वारा उक्त
भूखण्ड का
उपविभाजन पत्र
जारी किये जाने
हेतु आवेदन किया
गया है। अतः
पत्रावली
अवलोकनार्थ एवं
आदेशार्थ प्रस्तुत
है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Vinod Kumar Pareek S/o Prhalad Kishor Pareek को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।